

18/11/20

आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रा. पत्र पर
कार्यलय से तलब की गई। प्रार्थीमय
वकील उपस्थित। प्रा. पत्र पेश कर निवेदन
किया कि प्रार्थी द्वारा मूल दावा विज्ञा
कर लिया है। अतः प्रा. पत्र में प्रार्थी
कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिये
प्रा. पत्र प्रार्थी इस स्तर पर विज्ञा
करमाया जावे। प्रस्तुत प्रा. पत्र पर
प्रार्थी स्वयं वकील प्रार्थी को सुना गया।
प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर
प्रा. पत्र इस स्तर पर विज्ञा किया जाता
है। पत्रावली दाखिल दफ्तल है।

बदले

रि
२६

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)